

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: [jdacad1960@gmail.com](mailto:jdacad1960@gmail.com) Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: 7(4)ग्रीष्मावकाश टहराव/अकाद/आकाशि/2024/16436/

दिनांक:

**—:आदेश:—**

सत्र 2023-24 में ग्रीष्मावकाश के दौरान रोके गये कार्मिक का नाम, रोके जाने का कारण और प्रतिदिन उनके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण तत्काल स्प्रेडशीट में भरकर, ई-डाक द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।

ग्रीष्मावकाश में कार्मिकों को रोके जाने से पूर्व आयुक्त कॉलेज शिक्षा से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है अतः रोके जाने वाले कार्मिकों की सूची व रोके जाने के कारण सहित अनुमोदन के लिए दिनांक 10 जून, 2024 तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

ग्रीष्मावकाश के दौरान रोके गए कार्मिकों के उपाजित अवकाश आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, की अनुमति से ही देय होंगे, जिन्हें 15 जुलाई, 2024 से पूर्व स्वीकृत कराना होगा।

(पुखराज सेन)  
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(पुखराज सेन)  
आयुक्त

RajKaj Ref  
7755865



**Signature valid**

Digitally signed by Pukhraj Sen  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.06.05 17:38:25 IST  
Reason: Approved